मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XV | अंक 4 | अक्तूबर 2019

विषयवस्तु

	अनुभाग	पृष्ठ
i.	रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की चंडीगढ़ में बैठक	1
ii.	बैंकिंग विनियमन	1
iii.	सहकारी बैंकिंग विनियमन	2
iv.	वित्तीय समावेशन	2
v.	आंतरिक ऋण प्रबंधन	2
vi.	मौद्रिक नीति	4
vii.	भुगतान और निपटान प्रणाली	4
viii.	डेटा रिलीज	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक पत्रिका माह अक्तूबर में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को क्यूआर कोड स्कैन करके या https://mcir.rbi.org.in से एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की चंडीगढ़ में बैठक

भारतीय रिजर्व बैंक (रिज़र्व बैंक) के केंद्रीय बोर्ड की बैठक 11 अक्टूबर 2019 को चंडीगढ़ में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह केंद्रीय बोर्ड की 579 वीं बैठक थी। इसमें बोर्ड द्वारा मौजूदा आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक के परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की गई। इस संदर्भ में, बोर्ड ने एनबीएफसी के साथ-साथ वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना पर विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई । बोर्ड ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों की भूमिका, स्थानीय बोर्डों की वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट, बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों और कुछ केंद्रीय कार्यालय विभागों के कामकाज पर चर्चा की। बोर्ड को केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यनीति उप समिति के गठन के बारे में भी बताया गया। उप गवर्नर श्री एन.एस विश्वनाथन, श्री बी.पी.कानूनगो और श्री महेश कुमार जैन तथा केन्द्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक- श्री एन. चंद्रसेकरन, श्री भरत दोशी, श्री सुधीर मांकड, श्री मनीष सभरवाल, डॉ. अशोक गुलाटी, डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती, श्री दिलीप एस. शंघवी, श्री सतीश मराठे, श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, सुश्री रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने बैठक में भाग लिया। सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री राजीव कुमार, वित्त सचिव और सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग और श्री अतनु चक्रवर्ती, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग भी बैठक में शामिल हुए।

II. बैंकिंग विनियमन

बैंकों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) को ऋण देना

बैंक और अन्य हितधारक आईएनवीआईटी को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के प्रावधान स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आईएनवीआईटी को ऋण देने की अनुमति दी जाए:

- बैंकों को आईएनवीआईटी के प्रति एक्सपोज़र पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी होगी, जो अन्य बातों के साथ- साथ मूल्यांकन प्रणाली, स्वीकृति की शर्तें, आंतरिक सीमाएं, निगरानी प्रणाली आदि को शामिल करेगी।
- सामान्य स्थितियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बैंक समय पर ऋण की सर्विसिंग सुनिश्चित करने के लिए आईएनवीआईटी स्तर पर नकदी प्रवाह की पर्याप्तता सहित सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का आकलन करेंगे। आईएनवीआईटी और अंतर्निहित एसपीवी का समग्र लीवरेज बैंकों की बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार अनुमति प्राप्त लीवरेज के भीतर होगा। बैंक अंतर्निहित एसपीवी के कार्यनिष्पादन की निरंतर निगरानी करेंगे क्योंकि आईएनवीआईटी की ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता काफी हद तक इन एसपीवी के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करेगी। चूंकि आईएनवीआईटी ट्रस्ट हैं, बैंकों को इन संस्थाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों को, विशेष रूप से प्रतिभूति के प्रवर्तन के मामले में ध्यान में, रखना चाहिए।
- बैंक केवल उन्हीं आईएनवीआईटी को ऋण देंगे, जिनके मौजूदा बैंक ऋण वाले कोई भी अंतर्निहित एसपीवी, दिनांक 07 जून, 2019 के परिपत्र में पारिभाषित 'वित्तीय कठिनाई' का सामना नहीं कर रहे हैं।

- ❒ अन्य संस्थाओं की इक्विटी प्राप्त करने के लिए आईएनवीआईटी को बैंक वित्त देना, दिनांक 1 जुलाई 2015 के ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध पर मास्टर परिपत्र में दी गई शर्तों के अधीन होगा।
- ❒ बैंकों के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति छमाही आधार पर उक्त शर्तों के अनुपालन की समीक्षा करेगी।

III. सहकारी बैंकिंग विनियमन

बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई – सिसबी) के तहत बैंक / शाखा के विवरण संबंधी प्रोफॉर्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन

रिजर्व बैंक ने लेगेसी एमओएफ़ प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई रिपोर्टिंग प्रणाली, बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई – सिसबी) को वेब पर डालने का निर्णय लिया है। शाखा लाइसेंसिंग और वित्तीय समावेशन नीतियों के साथ अतिरिक्त पहलुओं/ विशेषताओं के अपेक्षित कवरेज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बैंकों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएँ सिसबी में स्थानांतरित कर दी गई है और आगे से अतिरिक्त सूचनाएँ सिसबी में रिपोर्ट की जानी चाहिए। रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए सिसबी पोर्टल पर संबंधित परिपत्र, उपयोगकर्ता मैनुअल और अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों के नोडल अधिकारियों को सिसबी में अपनी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान किए हैं। सिसबी का एक्सैस पाने हेतु अनुरोध mofbsd@rbi.org.in पर ईमेल से भी भेजा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय समावेशन

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता

रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी / यूटीएलबीसी), बैंकों और हितधारकों के परामर्श से अपने संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक तौर पर एक जिले की पहचान करें। पहचाने गए जिले को किसी ऐसे बैंक को आबंटित किया जाए जो जिले में वृहद स्तर पर विद्यमान हो और जिले को एक वर्ष के भीतर 100 प्रतिशत डिजिटल रूप में सक्षम बनाने हेतु प्रयासरत हो, ताकि जिले में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, संरक्षित, त्वरित, किफ़ायती और सुविधाजनक तरीके से डिजिटल भुगतान करने / प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा सके। इसमें, अन्य बातों के साथ, ऐसे लेन-देनों के प्रबंधन हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा और साक्षरता प्रदान करना भी समाहित है। एसएलबीसी / यूटीएलबीसी, जहां तक संभव हो सके, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि पहचाने गए जिलों को भारत सरकार के 'आकांक्षापूर्ण जिलों का रूपांतरण' कार्यक्रम के साथ अभिमुख किया जाए। बैंक को पहचाने गए जिले का आवंटन, जहां तक संभव हो सके, आपसी परामर्श और बैंक द्वारा स्वैच्छिक स्वीकृति के माध्यम से किया जाए। एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में प्रगति की निगरानी तिमाही आधार पर करें तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप-कार्यालयों को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करें। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

V. आंतरिक ऋण प्रबंधन

राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना– ग्रहणाधिकर का अंकन

रिजर्व बैंक द्वारा 31 अक्तूबर 2019 को स्पष्ट किया गया है कि एसजीबी भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किया जाता है और या तो आरबीआई ई-कुबेर में बॉन्ड लेजर खाते (बीएलए) में या डिपोजीटरी में अमूर्तीकृत बॉन्ड के रूप में रखा जाता है। निवेशक निवेश के साक्ष्य के रूप में सीओएच जारी करते हैं यदि बॉन्ड आरबीआई के पास बीएलए खाते में रखा है। यदि बॉन्ड अमूर्तीकृत रूप में रखा गया है, तो धारक की हकदारी डिपोजीटरी द्वारा उपलब्ध डीमेट विवरण से सत्यापित की जा सकता है। यह तब स्पष्ट किया गया है जब रिजर्व बैंक ने कई बैंकों और गैर-बैंकीय संस्थाओं से यह जानने के लिए संपर्क किया कि क्या बॉन्ड धारकों के द्वारा रखा गया धारक प्रमाणपत्र ही स्वाधिकार और उक्त बॉन्ड पर ग्रहणाधिकर अंकन की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त प्रमाण है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बीएलए फॉर्म में रखे गए बॉन्डों की स्थिति में ग्रहणाधिकर अंकन करने का अधिकार बैंक को प्रदान किया गया है। ऋण देने वाले बैंकों द्वारा ग्रहणाधिकार अंकन, ई-कुबेर पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा का प्रयोग करके रिकर्ड किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

VI. मौद्रिक नीति

VI. ए) चौथी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति 2019-20

रिजर्व बैंक द्वारा 4 अक्तूबर 2019 को चौथी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई। मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) भी प्रकाशित की गई ।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने 4 अक्तूबर 2019 की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि

i) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम कर के 5.15 प्रतिशत किया जाए।

ii) परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 4.90 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.40 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहती है, तब तक वृद्धि को पुनर्जीवित करना आवश्यक है और इसके लिए उदार रुख बरकरार रखा जाए।ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/Annualpolicy.aspx

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य :

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)

गरीब तबके के लोगों तक ऋण पहुंचाने और उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निर्धारित करने में सक्षम बनाने हेतु एमएफआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करते हुए इन मानदंडों को निम्नानुसार संशोधित करना प्रस्तावित है:

i) एनबीएफसी-एमएफआई के उधारकर्ताओं के वर्तमान स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1.00 लाख और शहरी / अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए 1.60 लाख को बढ़ाकर क्रमश: ₹1.25 लाख और ₹ 2.00 लाख किया जाए।

ii) पात्र उधारकर्ता के लिए ऋण सीमा को ₹1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर ₹1.25 लाख की जाए।

इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

ऑफशोर रुपया बाजार

रिजर्व बैंक ने गैर-निवासियों को ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुंच बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीमती उषा थोरात की अध्यक्षता में गठित ऑफशोर रुपया बाजार पर कार्य बल की सिफारिशों की जांच की और निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है:

i) घरेलू बैंकों को स्वतंत्र रूप से किसी भी समय गैर-निवासियों को उनकी भारतीय बहियों के अलावा, घरेलू बिक्री टीम द्वारा या उनकी विदेशी शाखाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा कीमतों की पेशकश करने की अनुमति दी जाए; तथा

ii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में कारोबार करने के लिए रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) को अनुमति दी जाए ।

अनिवासी रुपया खाता - नीति की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक विशेष रूप से बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी), व्यापार ऋण और निर्यात और आयात के संबंध में सीमा-पार लेन-देन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए विनिमय जोखिम कम हो जाता है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श के पश्चात यह निर्णय किया गया है कि, ब्याज रहित वाले विशेष गैर-निवासी रुपये (एसएनआरआर) खाते के दायरे को बढ़ाने के लिए भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को रुपया मूल्यवर्ग ईसीबी की सुविधा, व्यापार ऋण और व्यापार चालान के लिए ऐसे खातों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्तावित 24 × 7 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफ़टी) प्रणाली के लिए चलनिधि सहायता

रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि संपार्श्विक चलनिधि सहायता जो वर्तमान में एनईएफटी पर प्रत्येक कार्य दिवस पर शाम 7.45 बजे तक उपलब्ध है को चौबीस घंटों के लिए विस्तारित किया जाएगा ताकि बैंकों को निधियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिले। 7 अगस्त 2019 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में यह घोषणा की गई थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक दिसंबर 2019 से जनता के लिए 247 आधार पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। रिजर्व बैंक के पास रखे गए बैंकों के खातों में इन लेन-देन के सुचारू निपटान को सुकर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

बड़े गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं द्वारा आंतरिक लोकपाल

रिजर्व बैंक ने संस्थागत स्तर पर ही शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया है कि बड़े गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं (उन संस्थाओं के लिए जिनपर 10 मिलियन से अधिक प्री-पेड भुगतान लिखत बकाया है) वाली आंतरिक लोकपाल योजना को संस्थागत बनाया जाए। आंतरिक लोकपाल का उद्देश्य संस्था के भीतर एक तेज और किफ़ायती शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करना और शिकायत निवारण के लिए एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करना है।

भुगतान प्रणाली आंकडों का प्रसारण

श्री नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की गहनता संबंधी समिति की सिफारिश के अनुरूप और डिजिटल भुगतान अवसरों में तेजी से विकास को देखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत भुगतान प्रणाली को शामिल करने वाले भुगतान के आंकडों संबंधी अधिक सूक्ष्म जानकारी प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

स्वीकृति विकास निधि (एडीएफ़)

रिजर्व बैंक ने हितधारकों के परामर्श से 'स्वीकृति विकास निधि' (एडीएफ़) बनाने का निर्णय लिया गया है जिसकी रूपरेखा दिसंबर 2019 तक परिचालित की जाएगी। इससे इन क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ाने में सहायता मिलेगी जैसाकि रिजर्व बैंक के भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ 2021 में इंगित किया गया है और श्री नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की गहनता संबंधी समिति द्वारा जिसकी सिफारिश की गई है।

VI. बी) मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त

रिजर्व बैंक ने 18 अक्टूबर 2019 को अपनी वेबसाइट पर 1 से 4 अक्टूबर 2019 को आयोजित की गई चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित किए। बैठक में सभी सदस्य डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद;

डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी(2)(सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का अधिकारी); श्री बिभू प्रसाद कानूनगो, उप-गवर्नर, प्रभारी मौद्रिक नीति उपस्थित हुए और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर द्वारा की गई। मौद्रिक नीति समिति ने उपभोक्ता विश्वास, परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादन, क्रेडिट स्थिति, औद्योगिक, सेवा और बुनियादी सुविधा क्षेत्रों की संभावना तथा व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा करवाए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। उपर्युक्त पर और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक चर्चा करने के बाद एमपीसी ने संकल्प अपनाया। मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 5.15 प्रतिशत किया जाए।एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहती है, तब तक वृद्धि को पुनर्जीवित करना आवश्यक है और इसके लिए उदार रुख बरकरार रखा जाए। ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है। एमपीसी के सभी सदस्यों ने पॉलिसी रेपो दर को कम करने और मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को जारी रखने के लिए मतदान किया। डॉ.चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री बिभू प्रसाद कानूनगो और श्री शक्तिकांत दास ने रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया। डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया ने रेपो दर को 40 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया। एमपीसी की अगली बैठक 3-5 दिसंबर, 2019 के दौरान आयोजित की जाएगी। एमपीसी की बैठक के सम्पूर्ण कार्यवृत्त यहाँ क्लिक कर के देखें जा सकते हैं ।

VII. भुगतान और निपटान प्रणाली

भुगतान प्रणालियों का मांग-पर प्राधिकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू); ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरइडीएस); और वाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) के लिए 'मांग पर' प्राधिकरण प्रदत्त किया जाएँ। भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 2019 को अपनी वेबसाइट पर नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर एक नीति पत्र जारी किया था और वहां आम जनता से टिप्पणियों को आमंत्रित किया था। व्यक्तियों, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं, संस्थानों और उद्योग संघों से टिप्पणियां / प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, 07 अगस्त 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए साथ ही जोखिम के विविधीकरण से लाभान्वित होने के लिए, रिज़र्व बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू); ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरइडीएस); और वाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) के लिए, इच्छुक संस्थाओं को जो प्लेटफॉर्म का कार्य करने/ संचालित करने/ के लिए इच्छुक है, 'मांग पर' प्राधिकरण के लिए अनुदेश जारी करेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें ।

VIII. डेटा रिलीज

रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2019 को अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए:

i) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)

रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2019 को उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के सितंबर 2019 दौर के परिणाम जारी किए । सर्वे क्षण के निष्कर्षों के लिए यहाँ क्लिक करें ।

ii) मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2019 को मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (आईईएसएच) के सितंबर 2019 दौर के परिणाम जारी किए । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के लिए यहाँ क्लिक करें ।

iii) समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2019 को समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण के 60 वें दौर के परिणाम जारी किए । बैंक सितंबर 2007 से व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण (एसपीएफ) आयोजित कर रहा है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के लिए यहाँ क्लिक करें ।

iv) विनिर्माण क्षेत्र के लिए औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2019 को 2019-20 की दूसरी तिमाही, जुलाई-सितंबर के दौरान औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस)के 87 वें दौर के परिणाम जारी किए । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के लिए यहाँ क्लिक करें ।

v) विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2019 को 818 विनिर्माण कंपनियों को शामिल करते हुए अप्रैल-जून 2019 की तिमाही के लिए आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के 46वें दौर के परिणाम जारी किए । सर्वेक्षण भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थितियों का परिदृश्य उपलब्ध कराता है । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के लिए यहाँ क्लिक करें ।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।